संख्याः 209/2015/ 3902/नौ-5-15-60सा/2011

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक/एस.एल.एन.ए,
नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 24 जून, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत इलाहाबाद पेयजल (पार्ट-2) परियोजना की पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- पी0एम0यू0/71/124(5)/2015, दिनांक 17.06.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत **इलाहाबाद पेयजल (पार्ट-2) परियोजना** की पुनरीक्षित लागत रू0 18110.00 लाख एवं फाइनेन्सियल क्लोजर की लागत रू0 15915.22 लाख के अनुसार बढ़ी हुई लागत रू0 2194.78 लाख है। पुनरीक्षित लागत में रू0 1823.34 लाख सन्टेज की धनराशि सम्मिलित है। उक्त सेन्टेज की धनराशि में परियोजना हेतु पूर्व में अवमुक्त राज्यांश की धनराशि में से एसएलएनए के बैंक खाते में अवशेष धनराशि रू0 6.376 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष सेन्टेज की धनराशि **रू0 1816.964 लाख (रू0 अट्ठारह करोड़ सोलह लाख छियान्नवे हजार चार सौ मात्र)** को वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित शर्तो/उपबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	परियोजना का नाम	भा/स द्वारा अनुमोदित लागत/ फाइनेन्सियल क्लोजर की लागत	व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत	फाइनेन्सियल क्लोजर तथा पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष लागत वृद्धि	लागत वृद्धि/ पुनरीक्षित लागत में सेन्टेज की धनराशि	एसएलएनए के बैंक खाते में परियोजना हेतु अवमुक्त राज्यांश की अवशेष धनराशि	अवशेष राज्यांश की धनराशि के समायोजन के पश्चात स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इलाहाबाद पेयजल (पार्ट-2) परियोजना	16234.00/ 15915.22	18110.00	2194.78	1823.34	6.376	1816.964

(रू0 अट्ठारह करोड़ सोलह लाख छियान्नवे हजार चार सौ मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर परियोजना हेतु स्वीकृत सेन्टेज की धनराशि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी तथा अवशेष धनराशि स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) के खाते में रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर यथाप्रक्रिया व्यय की जायेगी। परियोजना हेतु निर्धारित सेन्टेज की धनराशि में से रू0 6.376 लाख का वहन परियोजना हेतु पूर्व में अवमुक्त राज्यांश की धनराशि में से एसएलएनए के बैंक खाते में अवशेष धनराशि से समायोजित कर किया जायेगा।

(3) प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज) की दर के सन्दर्भ में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 एवं बढ़ी हुई लागत के संदर्भ में निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(5) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, स्थानीय निकाय/एसएलएनए तथा कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समयसमय - पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत ***"लेखाशीर्षक- 2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं-191-नगर निगमों को सहायता-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-जेएनएनयूआरएम की योजनाओं हेतु सहायता (के.50/रा.20-के.रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 209/2015/ 3902/नौ-5-15-60सा/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
4- महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/4
8- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9- कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।